

4/2  
22

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं  
वादी व वादी अधिवक्ता को रोक-र  
कर 3 बार आवाज लगाई गई।  
कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का  
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA  
इसी स्तर पर अदम वेरवी, अदम  
हाजरी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली निगति ताकर गम्बूर से  
कम ताकर दाखिल रिफ्तार ता



①  
महण्ड अणिवकरी (राजस्व)  
श्री कल्याणपुर